सर्वोच्च प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

परिपत्र संख्या-फार्म-अनु0(विविध)फार्म-38 डाउनलोड 2013-14// — 353/1314032/28/06/13/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(फार्म अनुभाग)
लखनऊ// दिनांक// 28 जून//2013

//आदेश //

परिपत्र संख्या-फार्म-अनु0 (विविध)फार्म-38 डाउनलोड 2013-14 / 250 / 1314009 / दि0 18-04-2013 से आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) को विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए व्यापारियों को जारी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। अब तक लागू व्यवस्था में प्रत्येक जोन में एडीशनल कमिश्नर द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा फार्म-38 डाउनलोड किया जाता है तथा दूसरे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके आवश्यकतानुसार व्यापारियों को जारी करने हेतु खण्ड कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। कतिपय बड़े जोन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त व्यवस्था में नामित अधिकारियों के अवकाश पर जाने की स्थिति में कार्य बाधित होता है।

2- अत: इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उक्त आदेश को इस सीमा तक परिमार्जित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने हेतु जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा जोन में दो अधिकारियों को फार्म-38 डाउनलोड करने के लिये तथा दो अधिकारियों को फार्म-38 पर हस्ताक्षर करने के लिये नामित किया जायेगा। इस प्रकार अब प्रत्येक जोन में फार्म-38 डाउनलोड करने के लिये दो अधिकारी तथा हस्ताक्षर हेतु दो अधिकारी द्वारा कार्य किया जायेगा ताकि फार्म-38 की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

आदेश दिनांक 18-04-2013 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। तद्नुसार उक्त नामित अधिकारियों के मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराते हुए सॉफ्टवेयर में संशोधन कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

यह आदेश कमिश्नर वाणिज्य कर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(बी0 राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर/ मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2- निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
3- उभय संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4- मुख्यालय के समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर।
5- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया इस व्यवस्था से समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसका प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
6- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि कृपया प्रपत्र-38 की डानउलोडिंग की व्यवस्था में उक्त आदेश को क्रियान्वित कराने का कष्ट करें।
7- मुख्यालय के फार्म, सचल दल, वि0अनु0शा0, मैनुअल, नई इकाई, जनसूचना, केन्द्रीय सचल दल इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 के0 पाण्डेय)
ज्वाइंट कमिश्नर (फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।